(वाद सं0– 6613/4/38/2022)

12.09.2023

प्रसंगाधीन मामला परिवादी, संतोष कुमार सिंह, की नाबालिग पुत्री, खुशी कुमारी, के अपहरण से सम्बन्धित सुपौल जिलान्तर्गत पिपरा थाना काण्ड–213/22 में पुलिस द्वारा अपहृता की बरामदगी किये जाने तथा अभियुक्तों की यथाशीघ्र गिरफ्तारी किये जाने से सम्बन्धित है।

उपरोक्त पर **पुलिस अधीक्षक, सुपौल** से प्रतिवेदन की मांग की गई। **पुलिस अधीक्षक, सुपौल के प्रतिवेदन व साथ अनुलग्नित अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सुपौल के प्रतिवेदनानुसार, परिवादी, संतोष कुमार सिंह, के लिखित आवेदन के आधार पर 05 नामांकित अभियुक्तों एवं 01 अज्ञात के विरूद्ध उसकी नाबालिग 16 वर्षीया पुत्री, खुशी कुमारी, को बहला–फुसलाकर शादी करने की नियत से अपहरण करने के आरोप में भा0द0स0 की धाराओं–366(A)/34 के अन्तर्गत पिपरा थाना काण्ड संख्या–213/22, दिनांक–23.07.2022 संस्थित किया गया, जिसमें अबतक के अनुसंधान में 05 अभियुक्तों के विरूद्ध उनकी संलिप्तता को सत्य पाया गया है। प्रतिवेदनानुसार, सत्य पाये गये 05 अभियुक्तों में से एक अभियुक्त, अंकित कुमार, वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में है तथा अनुसंधानोंपरान्त उसके विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है जबकि शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अनुसंधान लम्बित है। प्रतिवेदन में यह भी उल्लेखित किया गया है कि काण्ड की अपहृता को बरामद किया जा चुका है तथा द0प्र0स0 की धारा–164 के अन्तर्गत न्यायालय में दिये गये ब्यान में उसका कथन है कि दिनांक–19.07.2022 की रात्रि को 12 बजें वह अपनी माँ का हाथ छुड़ाकर भाग गयी तथा दौड़ते–दौड़ते वह निर्मली चौक पहुँची। फिर वह फोन करके करण मण्डल, को बुलायी। करण मण्डल,**

बाईक से वहाँ आया। फिर वहाँ से वे दोनों सहरसा गये और अगले दिन सुबह में ट्रेन से पटना चले गये। जब उसको पता चला कि उसके पिताजी आने वाले है तो वह करण मण्डल, के साथ नेपाल चली गयी तथा वहाँ उसने करण मण्डल, से शादी कर ली। अपने ब्यान में उसका कथन है कि वह करण मण्डल से प्रेम करती है तथा वह अपने पति के साथ रहना चाहती है। जाँच में अपहृता के साथ शारीरिक सम्बन्ध स्थापित करने की बात बतायी गयी है।

अब जबकि काण्ड की अपहृता को पुलिस द्वारा बरामद किया जा चुका है तथा पुलिस द्वारा एक अभियुक्त के विरूद्ध अनुसंधानोंपरान्त न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है तथा अन्य अभियुक्तों के विरूद्ध अनुसंधान लम्बित है तो ऐसी परिस्थिति में उक्त पर राज्य आयोग के स्तर से कोई आदेश/निर्देश/अनुशंसा किया जाना उचित प्रतीत नहीं है।

अतः उपरोक्त के आलोक में प्रसंगाधीन मामले को राज्य आयोग के स्तर से संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश के साथ पुलिस अधीक्षक, सुपौल के प्रतिवेदन (पृष्ठ 17–09/प0) की प्रति संलग्न कर तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

उप सचिव